

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 21st June 2006

क्रमांक एफ -20-95/04/11/(6) :- राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट क्रमांक-3 में पूर्व घोषित दस उद्योगों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस उद्योगों को भी विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूची में सम्मिलित करता है :-

1. फ्लाई एश उद्योग (सीमेंट को छोड़कर)
2. रेडीमेट गारमेन्ट्स
3. सिंगल सुपर फास्फेट
4. कागज उद्योग
5. टेक्सटाईल (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फ्रेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
6. 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग
7. बायोडीजल उत्पादन
8. कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स फोफाईल्स एवं पाईप फिटिंग
9. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
10. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स ।

2/ यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Vinod Gupta

(विनोद गुप्ता)

विशेष सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर

21/6/06